कार्यालय द्वितीय अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 31/2019

शिव प्रताप सिंह पालारा

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा व अन्य।

द्वितीय अपील प्राधिकारी – लोकेश विजयवर्गीय (प्रबन्ध निदेशक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री शिव प्रताप सिंह पालारा, की तरफ से संदीप सिंह शेखावत, हाल झालावाड
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा, आर.एस.आर.डी.सी. एवं अन्य
3. प्रत्यार्थी – निर्मला देवी, की तरफ से श्री विमल चौधरी, एडवोकेट

निर्णय

दिनांक :– 26-08-2019

यह कि वर्तमान द्वितीय अपील, द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी शिव प्रताप सिंह पालारा द्वारा दिनांक 08.08.2019 को प्रस्तुत कर प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2019 को चुनौती दी गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है।:–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 077/2019–20 दिनांक 04.07.2019 को जारी कर चौमहला – सीतामउ टोल रोड परियोजना पर 30 माह की अवधि के लिए पथकर वसूली हेतु निर्धारित प्रपत्र ई टेन्डिगं प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। अपीलार्थी के साथ अन्य चार निविदा प्राप्त हुई उनमें से मात्र अपीलान्ट द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा सत्यापित प्राप्त नही होने के कारण तकनीकी मुल्याकंन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को स्वीकार नही किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिर्पोट प्रतिपक्ष संख्या 1 परियोजना निदेशक यूनिट कोटा द्वारा दिंनाक 19.07.2019 को निगम बेवसाईड पर अपलोड की गई अपीलार्थी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.07.2019 एवं प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिंनका 07.08.2019 के विरूद्व द्वितीय अपील मूल रूप से निम्न कथन के साथ प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट का कथन है कि उनके द्वारा ऑनलाईन निविदा के साथ वांछित सभी दस्तावेज डाउनलोड किए थे लेकिन तकनीकी कमी के कारण वांछित पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड नही हुआ। दिंनाक 19.07.2019 को बेवसाईड पर दरों का तुलनात्मक रिपोर्ट को देखा गया उससे अपीलान्ट की निविदा दर सबसे अधिक है। उनके द्वारा बाद में प्रस्तुत किये गये चरित्र प्रमाण पत्र दिंनाक 08.07.2019 को शामिल कराते हुये तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिंनाक 19.07.2019 एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय दिंनाक 07.08.2019 को निरस्त कर अपीलन्ट को निविदा में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा इस कार्यालय के द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विनोद मलिक पुत्र वेघराज सिंह व बनाम परियोजना निदेशक यूनिट – अलवर की राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 38 के तहत दायर द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिंनाक 20.09.2016 को अपील में अनेक्जर 7 बनाया जाकर कथन किया गया कि इस द्वितीय अपील में द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा निविदा की दिनांक के पश्चात् तकनीकी मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र को गलत नही माना गया है।

निर्णय दिंनाक 20.09.2016 का अवलोकन किया गया इस प्रकरण में निविदाकर्ता श्री मुकेश यादव द्वारा निविदा को डाउनलोड करते समय पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, तकनीकी मूल्यांकन समिति की सन्तुष्टि के लिए पुनः चरित्र प्रमाण पत्र निविदा की अन्तिम तिथि के बाद पुलिस विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया। जिसे द्वितीय अपीलेन्ट अधिकारी द्वारा उनकी राय में गलत नही माना गया, साथ ही साथ निर्णय में भविष्य में अनावश्यक विवाद ना हो, इसलिए महाप्रबन्धक निगम को निर्देशित भी किया गया कि इस आशय का एक परिपत्र सम्पूर्ण निगम में जारी करे कि निविदा के अन्तर्गत शर्तो के अनुरूप निर्धारित समय अवधि के पश्चात् किसी भी रूप में किसी भी निविदा दाता से कोई अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्राप्त ना करे। यदि स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक हो तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम में प्रदत्त प्रावधान के अनुरूप ही प्राप्त किया जावे। उपरोक्त निर्णय के आधार पर अपीलान्ट की अपील में राहत दिया जाना न्यायोचित नही होगा।

पक्षकारान को सुना गया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील एवं दस्तावेज तथा प्रतिपक्षगण द्वारा प्रथम अपील में प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन एंव विश्लेषण किया गया। अपीलान्ट द्वारा निविदा अपलोड करने की तिथि 17.07.2019 एवं समय सांय काल 6.00 बजे तक पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को असफल घोषित करने में **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में प्रदत्त प्रावधान की पालना में कोई त्रृटि किया जाना प्रतीत नही है, क्योकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता** नियम – 2013 के नियम 60(4) में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् कोई दस्तावेजात स्वीकार करने का अधिकार प्रदत्त नही है। तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक चरित्र प्रमाण पत्र को डाउनलोड नही करने के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को अस्वीकार करने में अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में प्रदत्त किसी प्रावधान की पालना में त्रृटि, भूल एवं उलंघन किया जाना नही पाया जाता है।

अतः प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 07.08.2019 को सही मानते हुये अपीलान्ट की द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 26/8/19 को सुनाया गया ।

द्वितीय अपील प्राधिकारी ,

(प्रबन्ध निदेशक)
आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।